कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्ष,मथुरा

विज्ञप्ति

अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ के शासनादेश संख्या –1218/पन्द्रह– 2–17– 1072/2017 दिनांक 21.08.2017 के कम में जनपद मथुरा में सचांलित राजकीय इण्टर कालेज /राजकीय हाईस्कूल में सहायक अध्यापक (एल0टी0ग्रेड) के रिक्त पदों के सापेक्ष बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षकों में से अहर्ताधारी शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर तथा राजकीय /अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सेवानिवृत्त सहायक अध्यापकों/प्रवक्ताओं की मानदेय के आधार पर इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से दिनांक 06.09.2017 की सांय 05:00 बजे तक कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक,मथुरा में आमंत्रित किये जाते हैं। प्रतिनियुक्ति/मानदेय पर तैनाती का अधार , प्रकिया, अहर्ता एंव शर्तें शासनादेश संख्या –1218/पन्द्रह– 2–17– 1072/2017 दिनांक 21.08.2017 के अनुसार होंगी, जो एन0आईसी0 मथुरा की वेबसाईट **mathura.nic.in** पर उपलबध हैं, तथा जिलाधिकारी,मथुरा, मुख्य विकास अधिकारी,मथुरा , जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान बाद मथुरा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा, मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय मथुरा, जिला विद्यालय निरीक्षक ,मथुरा के कार्यालयों में नोटिस बोर्ड पर चस्पा हैं। इच्छुक अभ्यर्थी रिक्तियों की स्थिति व शासनादेश अवलोकित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है:–

हिन्दी–14, अंग्रेजी–09, गणित–10 , विज्ञान–15, संस्कृत –04 , सामाजिक विज्ञान–16, उर्दू–01 , कला–17 , शारीरिक शिक्षा–01 , संगीत–01, गृह विज्ञान–14 कुल 102 पद।

26.8.17

डॉ0(अरूण कुमार दुबे)
जिला विद्यालय निरीक्षक
मथुरा

पृ0सं0/राजकीय/ 5935-43 /2017–18 दिनांक 26/8/17

प्रतिलिपिः – निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिलाधिकारी, महोदय मथुरा।
2– शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0 लखनऊ।
3– मुख्य विकास अधिकारी,मथुरा।
4– संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा मण्डल आगरा।
5– प्राचार्य जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान बाद मथुरा।
6– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी मथुरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया विज्ञप्ति, शासनादेश, विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची वेबसाईट **mathura.nic.in** पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी,मथुरा।
8– अध्यक्ष/मंत्री उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षक संघ मथुरा, उ0प्र0 प्रथमिक/उच्च प्रथमिक शिक्षक संघ मथुरा ।
9– सम्पादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने जनप्रिय दैनिक समाचार पत्र में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

26.8.17

जिला विद्यालय निरीक्षक
मथुरा

राजकीय इ0का0 / रा0बा0इ0का0 / हाईस्कूलों में एल0टी0 ग्रेड के विषयवार रिक्त पदों का विवरण

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	एल0टी0ग्रेड के स्वीकृत / कार्यरत / रिक्त			विषयवार रिक्त पदों की संख्या											रिक्त पदों का योग
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	विज्ञान	संस्कृत	समाजिक विज्ञान	उर्दू	कला	शारीरिक	संगीत	गृहविज्ञान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	रा0 कन्या इ0का0,अडीग, मथुरा	10	9	1								1				1
2	रा0क0इ0का0 सिरिया की नगरिया,मथुरा	10	8	2						2						2
3	रा0क0इ0का0, फरह, मथुरा	7	7	0												0
4	रा0क0इ0का0, परखम, मथुरा	7	6	1			1									1
5	रा0क0इ0का0, बल्देव, मथुरा	10	9	1						—		1				1
6	रा0हा0स्कूल, पचहरा, मथुरा	7	2	5	1			1		1		1			1	5
7	रा0हा0स्कूल, सैनवा, मथुरा	7	3	4	1					1		1			1	4
8	रा0हा0स्कूल, नगला दानी, मथुरा	7	3	4	1			1	1						1	4
9	रा0हा0स्कूल, अकोस, मथुरा	7	3	4		1		1	1						1	4
10	रा0हा0स्कूल, बिधौनी, मथुरा	7	2	5		1		1		1		1			1	5
11	रा0हा0स्कूल, हुसैनी, मथुरा	7	3	4			1	1				1			1	4
12	रा0हा0स्कूल, लोहवन, मथुरा	7	7	0												0
13	रा0हा0स्कूल, भद्रवन, मथुरा	7	2	5	1		1	1				1			1	5
14	रा0हा0स्कूल, लोहागढ, मथुरा	7	2	5	1	—	1	1				1			1	5
15	रा0हा0स्कूल, तुमौला, मथुरा	7	3	4				1		1		1			1	4
16	रा0हा0स्कूल, भदाया गंगाधर, मथुरा	7	4	3			1			1		1				3

क0सं0	विद्यालय का नाम	एल0टी0ग्रेड के स्वीकृत / कार्यरत / रिक्त			विषयवार रिक्त पदों की संख्या											रिक्त पदों का योग
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	विज्ञान	संस्कृत	समाजिक विज्ञान	उर्दू	कला	शारीरिक	स्गीत	गृविज्ञान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	रा0हा0स्कूल, भैंसा, मथुरा	7	5	2			—					1			1	2
18	रा0हा0स्कूल, व्योही, मथुरा	5	0	5	1	1	1	1		1			—			5
19	रा0इ0का0,मथुरा	23	17	6	—	—	—		1	1	1	1	1	1		6
20	रा0भारतीय इ0का0 अड़ीग,मथुरा	15	13	2	1					1						2
21	रा0हा0स्कूल, बिसावली, मथुरा	7	7	0		—										0
22	रा0हा0स्कूल, झुडावई, मथुरा	7	3	4	1	1	1			1						4
23	रा0हा0स्कूल, विबावली, मथुरा	7	2	5	1	1	—			1		1			1	5
24	रा0हा0स्कूल, बछगॉव, मथुरा	7	2	5		1		1		1		1			1	5
25	रा0हा0स्कूल, सांचौली, मथुरा	7	3	4	1			1				1			1	4
26	रा0हा0स्कूल, स्यारहा, मथुरा	7	1	6	1	1	1	1				1			1	6
27	रा0हा0स्कूल, दघेंटा, मथुरा	7	2	5	1		—	1	1	1		1				5
28	रा0हा0स्कूल, फेंचरी , मथुरा	5	0	5	1	1	1	1	—	1		—				5
29	रा0हा0स्कूल, कोटवन, मथुरा	5	0	5	1	1	1	1	—	1		—				5
योग		230	128	102	14	9	10	15	4	16	1	17	1	1	14	102

अनुमोदित

26/8/17
जिला विद्यालय निरीक्षक / सदस्य
मथुरा

26/8/17
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / सदस्य
मथुरा

प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान / सदस्य
मथुरा

26.8.2017 / 28.8.2017
मुख्य विकास अधिकारी / अध्यक्ष
मथुरा

संख्या– 1218 /पन्द्रह–2–17–1072/2017

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ/इलाहाबाद।

शिक्षा अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक 21 अगस्त, 2017

विषय:– **अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) के शिक्षकों (एल0टी0ग्रेड) के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति/मानदेय के आधार पर शिक्षकों की तैनाती।**

महोदय,

कृपया प्रश्नगत सन्दर्भ में अपने पत्रांक: नियुक्ति (एल0टी0)/सा0(1)शि0/5677/2017–18, दिनांक 20 जुलाई, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– प्रश्नगत सन्दर्भ में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय इण्टर कालेज/राजकीय हाईस्कूल (बालक/बालिका) में सहायक अध्यापक (एल0टी0) के 9437 एवं प्रवक्ता के लगभग 2600 रिक्त पदों के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। छात्र हित में उक्त रिक्त पदों के प्रति वैकल्पिक व्यवस्था करके शिक्षण कार्य कराया जाना छात्रहित एवं जनहित में अपरिहार्य हो गया है। चूँकि, उ0प्र0 अधीनस्थ शिक्षा(प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 1983 में संशोधन करते हुए अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) के शिक्षको (एल0टी0ग्रेड) के रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा के माध्यम से लोक सेवा आयोग,उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के माध्यम से चयन कराया जाना है। लोक सेवा आयोग से चयन किये जाने की प्रक्रिया में समय लगना स्वभाविक है, अतः राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों (एल0टी0ग्रेड) के रिक्त पदों पर अपरिहार्यता/तात्कालिकता के दृष्टिगत बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षकों में से अर्हताधारी शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर तथा राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सेवा–निवृत्त सहायक अध्यापकों/प्रवक्ताओं की मानदेय पर तैनाती किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3– माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों (एल0टी0ग्रेड) के रिक्त पदों पर बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षकों में से अर्हताधारी शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर तथा राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सेवा निवृत्त सहायक अध्यापकों/

–2–

प्रवक्ताओं की मानदेय पर तैनाती का आधार, प्रक्रिया तथा शर्तें निम्नवत होंगी:-

(क) प्रतिनियुक्ति हेतु आधार

(1) बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से चयनित एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका की शैक्षिक अर्हता, राजकीय माध्यमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक/प्रवक्ता पद की शैक्षिक अर्हता के समान हो।

(2) विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से चयनित एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका के अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत अन्य शिक्षक/शिक्षिका भी होंगे जो, राजकीय माध्यमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक/प्रवक्ता पद की शैक्षिक अर्हता के समान, शैक्षिक अर्हता रखते होंगे तथा वह राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर आने के इच्छुक होंगे।

(3) बेसिक शिक्षा के परिषद के अधीन संचालित कतिपय जनपदों के विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात से अधिक अध्यापक कार्यरत हैं, जिनको प्रतिनियुक्ति पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में उच्च कक्षाओं मे अध्यापन का अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार के जनपदों की सूची बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर शिक्षक/शिक्षिकाओं की तैनाती से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी तथा पठन-पाठन की व्यवस्था सुदृढ की जा सकेगी।

(ख) प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया

(1) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापक के पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर तथा राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सेवा-निवृत्त अध्यापकों की तैनाती हेतु निम्नवत चयन समिति गठित की जाएगी:-

(अ) प्रथम चरण में जनपद स्तर पर प्रत्येक जनपद में निम्नवत् चयन समिति गठित की जाएगी:-

(1)	जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(2)	प्राचार्य, डायट	सदस्य
(3)	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य सचिव
(4)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य

प्रथम चरण में समिति द्वारा जनपद के इच्छुक बेसिक शिक्षा विभाग के पात्र शिक्षकों तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त राजकीय शिक्षकों से आवेदन प्राप्त किये जाएगें। प्राप्त आवेदन पर उक्त समिति साक्षात्कार के आधार पर प्रथमतः बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापक तथा उनसे रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने की दशा में सेवा-निवृत्त माध्यमिक अध्यापकों के आवेदनों से चयन करेगी।

(ब) उपरोक्त समिति द्वारा सभी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो द्वितीय चरण में निम्नवत मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी, जिनके द्वारा मण्डल के अन्दर उपलब्ध बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों की साक्षात्कार से चयन करके मण्डल स्तर पर अन्तर्जनपदीय उपलब्धता पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी–

(1)	मण्डलायुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अपर आयुक्त	अध्यक्ष
(2)	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक	सदस्य सचिव
(3)	मण्डल मुख्यालय के डायट प्राचार्य	सदस्य
(4)	मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)	सदस्य

(स) यदि द्वितीय चरण में उपरोक्त समिति द्वारा सभी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो तृतीय चरण में निम्नवत राज्य स्तर पर गठित समिति द्वारा मण्डल के बाहर के रिक्त पदों की पूर्ति की व्यवस्था की जाएगी–

(1)	अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)	अध्यक्ष
(2)	अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक)	सदस्य
(3)	सचिव बेसिक शिक्षा परिषद	सदस्य
(4)	संयुक्त शिक्षा निदेशक(अर्थ)	सदस्य सचिव

(2) प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक अपने जनपद के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सृजित पदों के सापेक्ष रिक्त पदों का विद्यालयवार एवं विषयवार विज्ञापन प्रकाशित करेंगे।

(3) बेसिक शिक्षा परिषद के प्रतिनियुक्ति पर आने हेतु इच्छुक एवं अर्ह अध्यापक आवेदन करने के पात्र होंगे।

(4) इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित किया जाएगा।

(5) शिक्षकों का प्रतिनियुक्ति के आधार पर चयन उ0प्र0 अधीनस्थ शिक्षा(प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–1983 (यथा संशोधित) में प्राविधानित विषय के सहायक अध्यापक की शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

(6) प्रतिनियुक्ति पद पर चयन हेतु साक्षात्कार लिया जाएगा, और सम्यक विचारोपरान्त समस्त पहलूओं पर विचार कर चयन किया जाएगा।

(7) राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सेवा निवृत्त सहायक अध्यापक/प्रवक्ता भी जिला विद्यालय निरीक्षक को अपने विषय के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

(8) जनपद की आवश्यकता के अनुरूप सहायक अध्यापक/प्रवक्ता के पदों की पूर्ति यदि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से चयनित सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिका से नहीं होती तो उक्त स्थिति में सेवा निवृत्त सहायक अध्यापक/प्रवक्ता से की जायेगी।

(9) जिला विद्यालय निरीक्षक चयनित शिक्षक/शिक्षिकाओं की सूची अनुमोदन हेतु अपर शिक्षा निदेशक(मा0), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रेषित करेंगे तथा अपर शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित निम्न समिति के अनुमोदनोपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ही नियुक्ति–पत्र निर्गत किये जायेंगे:–

(1)	अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)	अध्यक्ष
(2)	अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक)	सदस्य
(3)	सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद	सदस्य

(ग) प्रतिनियुक्ति/मानदेय की शर्तें

(1) प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने वाले सहायक अध्यापक की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 31 मार्च 2019 अथवा रिक्त पद के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो तक ही होगी।

(2) राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सेवा निवृत्त शिक्षक /शिक्षिका की सेवा अवधि दिनांक 31 मार्च, 2018 तक अथवा रिक्त पद के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो तक ही होगी।

(3) राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों वही सेवा निवृत्त शिक्षक /शिक्षिका आवेदन–पत्र देने हेतु अर्ह होंगे जिनकी अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी तथा उन्हें स्वस्थता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना होगा।

(4) सेवानिवृत्त शिक्षकों को मानदेय के रूप में वह नियत धनराशि अनुमन्य होगी जो संबंधित शिक्षक के अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व, यदि कोई हो) घटाने के फलस्वरूप आये।

(5) प्रतिनियुक्ति तथा उपरोक्त सेवा निवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति नितान्त अस्थाई प्रकृति की होगी तथा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

(6) प्रतिनियुक्ति पर चयनित शिक्षक/शिक्षिकाओं की तैनाती तथा सेवा निवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति प्रथम चरण में माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय शिक्षक/शिक्षिका के लिए स्थानान्तरण/समायोजन नीति, 2017 सम्बन्धी शासनादेश संख्या–779/15–2–2017–552/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयों मे रिक्त पद के प्रति की जाएगी।

(7) प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात् संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को मूल विभाग (बेसिक शिक्षा विभाग) में वापस कर दिया जाएगा तथा उनकी तैनाती के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अपने स्तर से निर्णय लिया जाएगा।

(8) प्रतिनियुक्ति पर आये परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों को उनके द्वारा प्राप्त समान
वेतन दिया जाएगा।

(9) प्रतिनियुक्ति पर आए शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।

(10) प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने वाले कार्मिकों द्वारा भविष्य में सम्विलियन की मॉग नहीं
की जायेगी। इस आशय का शपथ-पत्र प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने से पूर्व संबंधित
कार्मिक से प्राप्त कर लिया जायेगा।

(11) बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में मौलिक रूप से
नियुक्त/कार्यरत ऐसे अध्यापकों को इस शर्त के साथ प्रतिनियुक्ति दी जायेगी कि परिषदीय
अध्यापक का धारणाधिकार प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर अपने मौलिक रूप से नियुक्त/
तैनाती के जनपद एवं उनके मूलपद के सापेक्ष रहेगा।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 1218 (1)/पन्द्रह -2-17-1072/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,
(2) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री जी, उत्तर प्रदेश,
(3) निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी (मा0 माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी), उत्तर प्रदेश,
(4) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश,
(5) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश,
(6) निजी सचिव,अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
(7) निजी सचिव,अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
(8) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
(9) अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक/बेसिक, उ0प्र0, इलाहाबाद,
(10) समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, उत्तर प्रदेश,
(11) संयुक्त शिक्षा निदेशक, (अर्थ) माध्यमिक/बेसिक, उत्तर प्रदेश,
(12) सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
(13) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्राचार्य डायट/मण्डल मुख्यालय के डायट प्राचार्य,उ0प्र0,
(14) समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश,
(15) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
(16) निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0, लखनऊ,
(17) माध्यमिक शिक्षा विभाग/बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग,
(18) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

21/9/2017

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।